

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण

लखनऊ :: दिनांक: ०५ अक्टूबर, 2010

विषय: वित्तीय वर्ष 2010-11 में उत्पाद विकास, मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय योजना (एस0सी0एस0पी0) हेतु प्राविधानित धनराशि की अवशेष स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित उत्पाद विकास, मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय हेतु वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू० 5.00 लाख (रू० पांच लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष फमाही हेतु 50 प्रतिशत की धनराशि रू० 2,50,000/- (रू० दो लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृत आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- स्वीकृत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि इससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा पित्त विभाग के कार्यालय झाप संख्या-बी 1 951/दस-10-231/10 दिनांक 26.3.2010 एवं शाराकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने हेतु समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप योजनाओं पर किया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद या उनके मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कन्ट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए भी उपलब्ध रहेगा।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि से होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष धरक योजना-09-उत्पाद विकास, मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय-27-सब्सिडी" के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशाराकीय संख्या-ई-3-1764/दस-2010, दिनांक 29.9.2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव।

.....2/-



संख्या- ४०४ (1)/26-ब0प्र0-2010-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 2- प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शारान ।
- 3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग 1/
नियोजन अनु0 4/औद्योगिक विकास अनुभाग-3
- 7- गार्डफाइल/एन0आई0सी0 की प्रति ।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव ।